

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,
अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,
सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक: 24.08.2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड एवं राज्य योजनान्तर्गत गढ़वा जिला के भंडरिया में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 1,54,89,443/- (एक करोड़ चौवन लाख नवासी हजार चार सौ तैंतालीस) रुपए मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-29(5)ब०यो०, दिनांक-27.05.2022, शुद्धि पत्र संख्या-116(5)ब यो० दिनांक-10.08.2023 एवं स्वीकृत्यादेश सं०-80(5)यो० दिनांक-29.03.2026 तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक-2319 दिनांक-11.08.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड एवं राज्य योजनान्तर्गत गढ़वा जिला के भंडरिया में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना हेतु राज्य योजना मद से अधोलिखित तालिका के अनुसार प्रथम अनुपूरक आगणन के फलस्वरूप कुल 1,54,89,443/- (एक करोड़ चौवन लाख नवासी हजार चार सौ तैंतालीस) रुपए मात्र आवंटित की जाती है:-

क्र	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	व्यय की स्वीकृति के पश्चात् योजना की कुल लागत राशि	योजना में NHM निधि से देय राशि	राज्य योजना मद से देय राशि	राज्य योजना मद से अबतक आवंटित राशि	राज्य योजना मद से वर्तमान आवंटन	राज्य योजना मद से कुल आवंटित राशि
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भंडरिया गढ़वा	29(5)ब०यो०, 27.05.2022 एवं 80(5)यो० 29.03.2026	11,00,00,000	12,81,71,296	9,33,00,000	3,48,71,296	1,93,81,853	1,54,89,443	3,48,71,296

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेशों एवं शुद्धि पत्रों की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी। स्वीकृत्यादेशों एवं शुद्धि पत्रों में अंकित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

3. व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत बजट शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001-निदेशन और प्रशासन-64-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान-06-अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड 20एस 2210-01-001-64-00-06-79) के अधीन उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे। सिविल सर्जन, राँची राशि का पुस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता-मुख्यशीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधियों में करेंगे।

5. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक-2561 वि०, दिनांक-17.04.98 एवं 1800(वि०), दिनांक-15.07.2003 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेश के आलोक में होगा।

7. राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से होगी।

8. राशि की निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो। राशि की निकासी पारित विपत्र के आधार पर की जाएगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

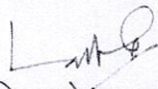
10. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

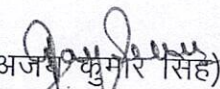
11. कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन इस उद्देश्य से चयनित Third Party Quality Control एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करते हुए उसका प्रतिवेदन नियमित रूप से प्राप्त किया जाएगा। राशि का भुगतान Quality Control जाँच कराए जाने के बाद ही किया जाएगा। योजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाएगा।

12. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के अभियन्ताओं का दायित्व होगा।

13. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियन्ता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना में किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान की स्थिति में निगम के संबंधित पदाधिकारी/अभियन्ता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव
31(5)अ.
24.08.2026


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

14. कार्य एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: 31(5)व.
प्रतिलिपि:

राँची, दिनांक: 24.08.2026

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. उपायुक्त, गढ़वा।
5. सिविल सर्जन, गढ़वा।
6. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
7. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
8. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
9. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

31(5)व.
24.08.2026



आवटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

गालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शए गप बजट शीर्ष के सामने अकित राशि आवटित की जाती है

पत्र संख्या - 5-P-NS-06/2022/31(5)B

दिनांक - 24-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवटित राशि
1	S 20 22100100164000679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 001 - निदेशन और प्रशासन 64 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	59548	RNCMED013 AMRENDRA PRASAD C.S.CUM C.M.O.RANCHI 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	15,489,443.00 रुपये एक करोड चौपन लाख नवासी हजार चार सौ तीरयालीस
State Scheme :		ADDITIONAL GRANTS-IN-AID TO NATIONAL HEALTH MISSION(1699)		
Central Scheme :		NA		

योग:

15,489,443.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड चौपन लाख नवासी हजार चार सौ तीरयालीस

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

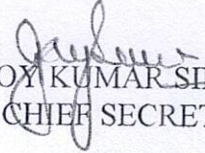
माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 001 - निदेशन और प्रशासन & 64 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100100164000679	Total
					सहायता अनुदान सामान्य गैर.वेतन	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Amrendra Prasad	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹1,54,89,443.00 (59548)	₹1,54,89,443.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,54,89,443.00 (एक करोड़ चौपन लाख नवार्सा हजार चार सौ तीरयालीस) रुपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए


(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY